

उ. 5-18

पत्रावली डाक कोर्ट में नपुरा में पेश हुई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। शालस्व रिकार्ड (गमाबन्दी संवत् 2071 से नप ग्राम में नपुरा के अनुसार संसय नं० 126, 134/5, 134/7, 147, 204 किला 5 कुम रकबा 8.54 ई. के वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 से 3 रिकार्ड्स स्वतन्त्र दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त वर्णित भूमि शालस्वति क्षुपी भूमि है तथा विधिवत विभाजन नहीं हो रहा है। धारा 53 के प्रावधान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी गण उक्त वर्णित भूमि का विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक डिक्ली इस आशय की दी जाती है कि ग्राम में नपुरा की सरहद में स्थित भूमि संसय नं० 126, 134/5, 134/7, 147, 204 किला 5 कुम रकबा 8.54 ई. के वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 से 3 का शालस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कच्चा अनुसार रास्ते का प्रावधान बखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार लक्ष्मील दार उदमपुरवादी उदमपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाथ में प्रस्तुत करें। डिक्ली पच्ची पारी

निर्णय डाक दिनांक उ. 5-18 को कोर्ट में नपुरा में सुनाया गया। पत्रावली फौजला शुमार होकर नक्का से काम हो तथा दारखिल बखतर हो।